

प्रतिबन्ध :-

- विभिन्न विभागों द्वारा निर्धारित अनापत्ति प्रमाण-पत्रों में अंकित समस्त शर्तों का अखरः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा अथवा की स्थिति में मानचित्र स्वतः अस्वीकृत माना जायेगा।
- आवास विकास परिषद द्वारा योजना से छोटी नदी नृषि के सम्बन्ध में यदि कोई वाद-विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो आवेदक को आवास विकास परिषद से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अथवा नियमानुसार मानचित्र निरस्त कर दिया जायेगा।
- आवेदक को एक टॉप टेन वाटर हार्नेटिंग के माध्यम से भू-जल की रिचार्जिंग हेतु रैन वाटर हार्नेटिंग सिस्टम की व्यवस्था करनी होगी।
- परियोजना के मध्य स्थित सिंचाई विभाग की मूल पर कितनी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया जायेगा। प्रस्तुत शम्भ-पत्र के आधार पर यदि भविष्य में कोई अतिक्रमण किया जाता है तो मानचित्र अस्वीकृति सम्बन्धी कार्यवाही प्रक्रियागत स्तर से की जाएगी।
- भविष्य में यदि कितनी वाद-विवाद-कारण से पूर्व स्वीकृत मानचित्र संख्या 768/बीएफएफएफबीएफ/05/09-10 दिनांक 02.07.10 निरस्त होता है तो प्रदत्त शम्भ मानचित्र स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जाएगी जिसके लिए अलग-से कोई सूचना/आदेश प्रक्रिया की ओर से पत्र/आवेदक को उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
- वेस्टिंग की सुविधा से पूर्व विकासकर्ता को प्रिलायिकारी कार्यलय से खनन अनुज्ञा प्राप्त करनी होगी आवश्यक होगी।

समय निर्दिष्ट

11/11/2013

21-12-13

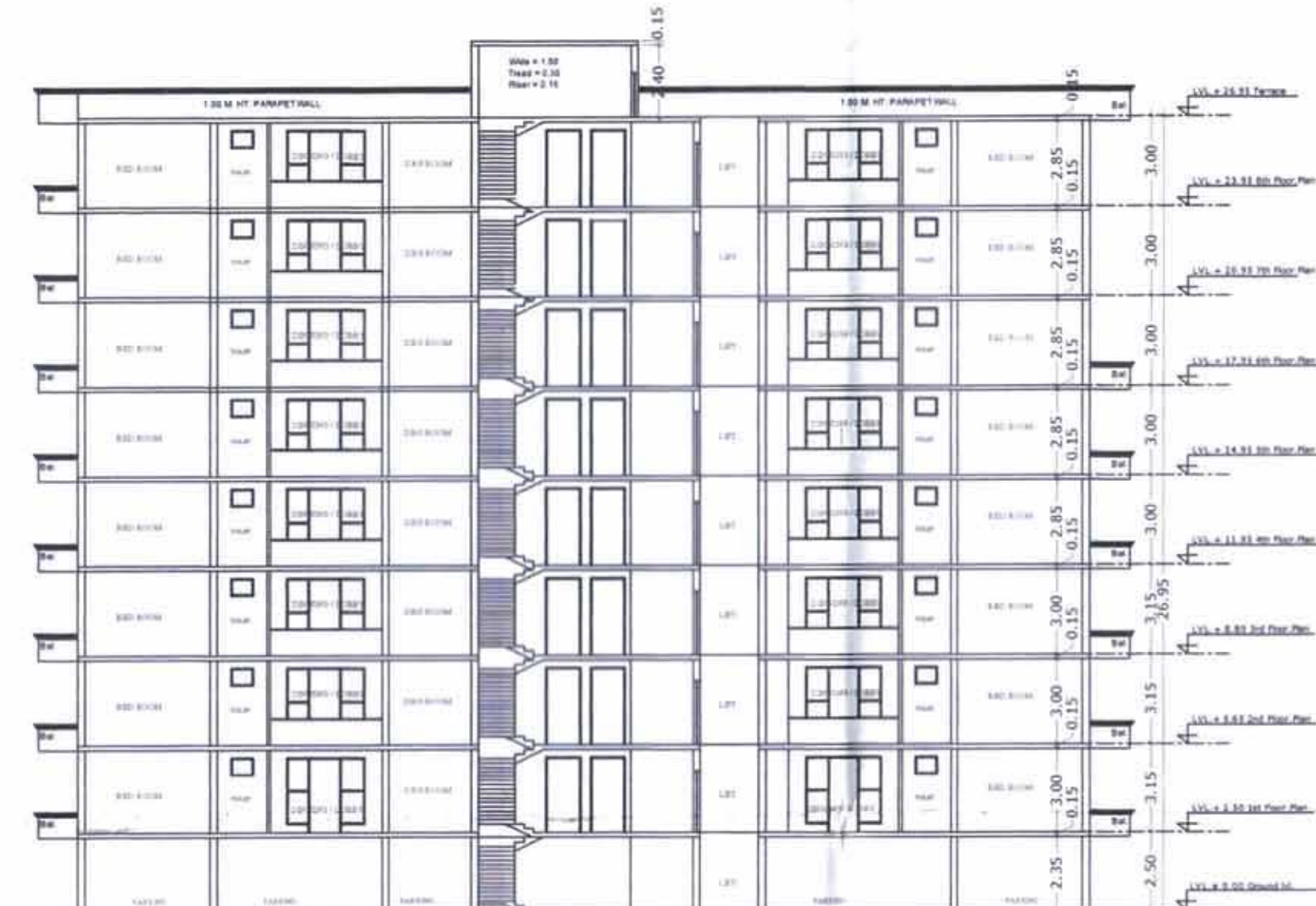
10584625

30-12-13

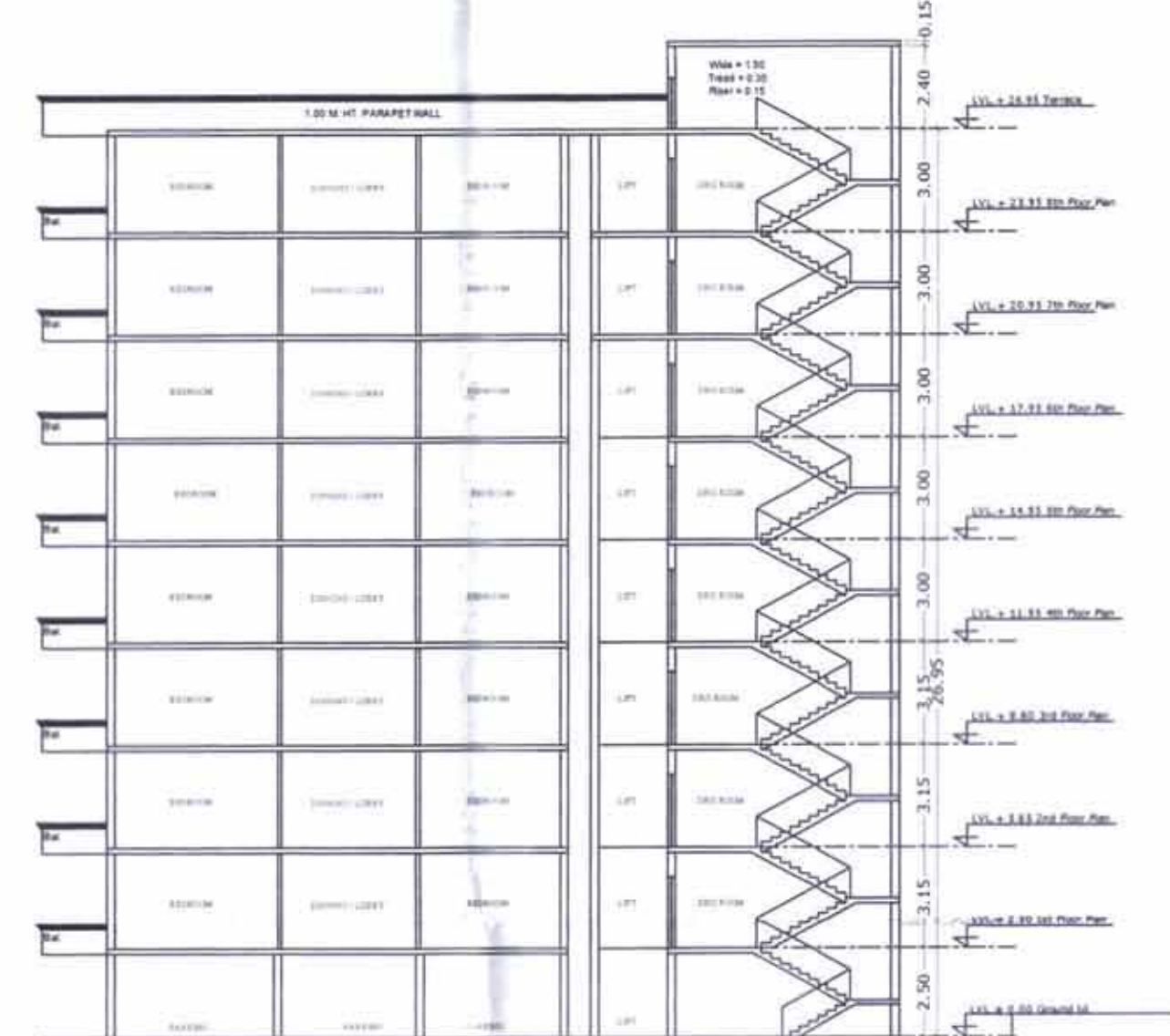
6/12



SIDE ELEVATION



SECTION AT A-A  
SCALE 1:100



SECTION AT B-B  
SCALE 1:100



SECTION AT C-C  
SCALE 1:100

| Sheet |            | NOTES :-                  |                                                    |
|-------|------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| 3     |            | ALL DIMENSIONS ARE IN 'M' |                                                    |
| Date  | 03/07/2013 | Scale                     | 1:100<br>1:200                                     |
| Drawn | Pawari     | ARCHITECT:-               | AMIT KUNDEJA<br>B ARCH<br>COA Reg No CA-2003/31190 |
| CKD   |            |                           |                                                    |